प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 22/12/2025

वादीगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री कमलेश कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:33:35 IST
Reason: SelfAttested

के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है:—

क. चक 31 एमओडी के खाता सं. 29/67 के प. नं. 30/250 (20) किला नं. 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 22/1, 23, 24, 25/1, 25/2 की कुल 3.884 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं.1 के नाम 1987/3884 हिस्सा का वादी सं. 2 जसकेवल सिंह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

ख. चक 34 एमओडी के खाता सं. 117/91 के प. नं. 33/257 (25) किला नं. 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, प.नं. 34/257 (26) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 6 ता 15 की 5.946 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज 4049/5946 हिस्सा में से वादी सं. 1 हरबंश सिंह को 1.201 हैक., का वादी सं. 3 गुरविन्द्र कौर को 1.265 हैक. का वादी सं. 4 हरप्रीत सिंह को 1.583 हैक. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जातें है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 22/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:33:35 IST
Reason: SelfAttested